राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(ए)()आर.बी./2020/2096 दिनांक : 22 अप्रैल, 2022

कार्यवाही विवरण

"टास्क फोर्स" की बैठक प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 29.03.2022 को "माइक्रोसॉफ्ट टीम" प्लेटफार्म पर आयोजित की गई, जिसमें "टास्क फोर्स" के सभी सदस्यों ने "वीडियो कान्फ्रेंसिंग" द्वारा बैठक में भाग लिया (कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को छोडकर)

प्रमुख सचिव, राज्यपाल ने "टास्क फोर्स" के सदस्यों का स्वागत किया एवं बैठक की संरचना से सभी सदस्यों को अवगत कराया।

प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय द्वारा टास्क फोर्स के सदस्यों से मुख्यतः निम्नांकित विषयों पर विस्तार से विचार जानने चाहे –

- Model code of conduct (SoP) for Vice-Chancellor in SFU's.
- राजस्थान के सभी सामान्य राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रम जैसे एम.एड., विशेष शिक्षा, बी.एड. विशेष शिक्षा प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में।
- सभी विश्वविद्यालयों में केन्द्रीय पुस्तकालय तथा ई–लाईब्रेरी की वर्तमान व्यवस्था में क्या–क्या सुधार किये जा सकते है।
- नई शिक्षा नीति के आलोक में पाठ्यक्रम अद्यतन करने, वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, व्यावसायिक एवं कौशल दक्षता, नवाचार अपनाते हुए उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास, शोध की मौलिकता और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा के विकास सहित अपेक्षाओं के संबंध में।
- टेबल एजेण्डा :– SUMS के क्रियान्वयन के संबंध में।

उद्‌बोधन के पश्चात टास्क फोर्स के माननीय सदस्यों द्वारा निम्न सुझाव दिये गये :–

प्रो. ए.के. गहलोत, सदस्य राज्यपाल सलाहकार बोर्ड

- Model Code of Conduct (SOP) के बिन्दु संख्या 6, 11 एवं 15 में संशोधन हेतु अपने सुझाव दिये गये।
- UGC की Governance in Higher Education Handbook for Vice Chancellor, 2019 के बिन्दु F को भी Model Code of Conduct (SOP) में जोडा जाये। इस संबंध में माननीय प्रमुख सचिव महोदय द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अनुमोदन पश्चात उक्त बिन्दु को शामिल करने का सुझाव दिया गया।
- वर्तमान में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा अपने स्तर पर अधिनियम/नियमों में संशोधन किया जाता है। अतः निजी विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिनियम/नियमों को ही लागू किये जाने बाबत राज्य सरकार को पत्र लिखा जाये।
- विद्यार्थियों के Online Learning Material की ओर रूझान को देखते हुए विश्वविद्यालयों द्वारा ई–रिसोर्स हेतु प्रयास किये जाये, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ई–लाईब्रेरी से लाभान्वित किया जा सके।
- अधिकांश राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में Skill Oriented Course संचालित है, लेकिन कोर्सज लोकल इण्डस्ट्रीज की Requirement के हिसाब से संचालित नहीं है। अतः Skill Oriented Courses विश्वविद्यालय की भौगोलिक परिस्थितियों एवं local need के हिसाब से तय किये जाये तथा विश्वविद्यालयों को Students की Employability बढाने पर फोकस करना चाहिए।
- राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को अपने कोर्सेज समय–समय पर अपडेट किये जाने चाहिए।
- SUMS से संबंधित Tender जारी किया जा चुका है। अतः राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय Tender में अंकित Rate Contract के हिसाब से कम्पनी के प्रतिनिधि से समन्वय स्थापित कर Module ले सकते हैं एवं जिन विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी क्षमता 50,000 से कम है, वे विश्वविद्यालय Phase wise manner में SUMS लागू कर सकते हैं एवं 50,000 से अधिक क्षमता वाले विश्वविद्यालय सारे Module purchase कर सकते हैं। वर्तमान में केवल एडमिशन एवं एक्जामिनेशन से संबंधित कार्यो में ई–गवर्नेंस का उपयोग किया जा रहा है।
- विश्वविद्यालयों में SUMS लागू करने का यह फायदा भी होगा कि सर्वर विश्वविद्यालय का होने के कारण विश्वविद्यालय का सारा डाटा विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। साथ ही डाटा सिक्योरिटी फीचर्स भी इसमे Include किया गया है। वर्तमान में

विश्वविद्यालयों को पुराने डाटा के लिए वेण्डर को पैसे देकर डाटा लेना पडता है एवं कई बार वेण्डर डाटा किसी और को बेचकर चले जाने पर पुराने डाटा Collection में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि विश्वविद्यालय में SUMS लागू किया जाता है, तो बाद में विश्वविद्यालयों को Recurring Cost का ही भुगतान करना पडेगा।

- समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को SUMS लागू किये जाने की कार्यवाही करते हुए वेण्डर से सम्पर्क कर विश्वविद्यालय की Requirement अनुसार Module Purchase की कार्यवाही करनी चाहिए।
- विश्वविद्यालयों में ई–रिसोर्स जनरेट करने के लिए मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर या राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा जैसे विश्वविद्यालयों से समन्वय स्थापित कर एक Exercise करें, जिससे ई–रिसोर्स पर्सन से प्रपोजल मंगवाये जा सके।

प्रो. आर.के.एस. धाकरे, कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर

- Model Code of Conduct (SOP) के बिन्दु संख्या 2, 3 में संशोधन हेतु अपने सुझाव दिये गये।
- विश्वविद्यालयों द्वारा बुक्स को स्केन किया जाकर ई–बुक्स उपलब्ध करवायी जाये।

प्रो. अमेरिका सिंह, कुलपति, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर

- विश्वविद्यालय में चलाये जा रहे विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में अवगत कराया।
- विश्वविद्यालय द्वारा 92 स्किल रिलेटेड कोर्स चलाये जाने के बारे में अवगत कराया गया।

प्रो. आर.ए. गुप्ता, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

- विश्वविद्यालयों द्वारा संबंधित जर्नल से ई–बुक्स प्राप्त की जाये।

बैठक के दौरान/अंत में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निम्नांकित निर्देश प्रदान किये गये:–

- राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण राज्य सरकार के नियमानुसार व्यक्तिगत रूप से 5,000 रूपये से अधिक का डोनेशन (उपहार) स्वीकार नहीं करेंगे

नरछेरी

एवं इससे अधिक का डोनेशन प्राप्त होने पर अपने प्रशासनिक विभाग को सूचित करेंगे।

- Model Code of Conduct (SOP) टास्क फोर्स सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को सम्मिलित करते हुए फाईनल किया जावे ?
- मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं भारतीय पुर्नवास परिषद के तत्वाधान में राजस्थान के सामान्य राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्पेशल एज्यूकेशन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन माह अप्रैल, 2022 के अंतिम सप्ताह में किया जाये। साथ ही उक्त कार्यशाला में ई–लाईब्रेरी का भी एक सेशन रखा जाये, जिसमें राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा चार सदस्यों की टीम भिजवायी जाये, जिसमें एक सदस्य विशेष बी.एड पाठ्यक्रम से संबंधित, एक सपोर्टिग (कम्प्यूटर दक्ष) स्टाफ एवं शेष ई–लाईब्रेरी से संबंधित सदस्य कार्यशाला में भाग लेने हेतु नियुक्त किया जाये, जिसमें Training Cost, Lodging, Accommodation आदि सब निःशुल्क रहेगा।
- कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए E-Consortium लिया जा सकता है।
- राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में E-consortium लागू किये जाने हेतु देश के जिस विश्वविद्यालय द्वारा इस सेक्टर में अच्छा काम किया है, उसको Identify कर वहां राजस्थान से एक टीम जाये एवं जो उसका अध्ययन कर इसे राजस्थान राज्य में लागू करने हेतु प्रस्ताव तैयार करें।
- मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर में माह अप्रैल, 2022 में आयोज्य तीन दिवसीय कार्यशाला में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में पदस्थापित लाईब्रेरियन भी भाग ले।
- राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के Skill/Excellence Area से संबंधित ट्रेनिंग अन्य विश्वविद्यालयों को भी दी जाये।
- नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार एक कम्पेन्डियम बनाया जाये एवं उस कम्पेन्डियम को उनके मेन्टर/शिक्षक के पास रखा जाये, जिससे उनकी रूचि अनुसार Skill प्रदान की जाये और मेन्टर द्वारा उनको स्व–रोजगार के लिए प्रेरित किया जाये।
- राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय स्किल मैपिंग करें। उनके आस–पास लगभग 100 किमी रेडियस में इन्डस्ट्रीज को क्या Requirement है, का विश्लेषण करके तद्नुसार विद्यार्थियों को तैयार करें।

- जनवरी, 2023 में प्रस्तावित National Science Congress Event जो मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा Host किया जा रहा है, में समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय आवश्यक रूप से शामिल हो।
- प्रदेश के राजकीय कॉलेजों में पदस्थापित प्रिंसीपल पर भी Code of Conduct लागू किया जाना चाहिए।
- समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा Micro task force की बैठक रेगुलर आयोजित की जाये।

बैठक के अंत में प्रमुख सचिव, राज्यपाल द्वारा सभी टास्क फोर्स सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

सदस्य सचिव,
टास्क फोर्स

क्रमांक : एफ.1(ए)()आर.बी./2020/2097 दिनांक :21 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
2. प्रो. ए.के. गहलोत, सदस्य राज्यपाल सलाहकार बोर्ड।
3. समस्त सदस्य टास्क फोर्स।
4. कुलपतिगण, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
5. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।

उप सचिव–द्वितीय,
राज्यपाल, राजस्थान